

२११०११५-

परावली पत्र इत, उभयपक्ष द्वारा  
अधिवक्ता वकील के सहयक ने जांचि  
किया कि अधिवक्ता वकील के काम में  
किसी प्रकार का भ्रम होने से साक्ष्य लेव  
अवकाश चाहते हैं पूर्व में उन्हें अतिम  
विषय था, किन्तु वैचारिक कार्यक्रम होना  
पारिवारिक कार्यक्रम होने से अतिमहित में  
इन्हें अतिम अवकाश पुनः दिया जाता  
है। परावली साक्ष्य वकील में दि० २०/११/५३  
में पत्र हो।

२१११११५-

परावली पत्र इत, उभयपक्ष द्वारा अधिवक्ता  
वकील साक्ष्य वकील लेव अवकाश-पत्र प्राप्त  
करने का अवकाश चाहते हैं पूर्व में उन्हें  
अतिम अवकाश दिया था, दि० ३०/१-५३  
कोर्ट पर अधिवक्ता वकील को दिया जाता है।  
परावली साक्ष्य वकील में दि० २३/१२/५३  
में पत्र हो।

२३११२११५-

परावली पत्र इत, उभयपक्ष द्वारा प्रमाण में  
अधिवक्ता वकील द्वारा अंतर्गत जांचि किया कि  
कोसे पहले के मध्य प्रमाणों को चुका है।  
वकील अधिवक्ता वकील का पत्र में कोसे कोर्ट  
आगे नहीं चाहते हैं। काउंटर को Not Press,  
किया गया। वकील का पत्र को Not Press,  
किया जाने से काउंटर को Not Press में खोज  
किया जाता है। परावली केसल अंतर्गत ही जांचि  
नाम से काम हो।

कोसे पहले में  
श्रीमान् कोर्ट में  
ले कोर्ट का भवाही  
नही चाहते हैं  
J. M. A. S. M.